

रजिस्ट्रेशन नग्वर-एस०एस०पी०/एल० डब्लू०/एन०पी०-91/2008-10 लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट माग—1, खण्ड (क) (उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 20 अगस्त, 2010 श्रावण 29, 1932 शक सम्वत

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 1101/79-वि-1-10-1(क)-18-10

लखनऊ, 20 अगस्त, 2010

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2010 पर दिनांक 19 अगस्त, 2010 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19 सन् 2010 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2010 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19 सन् 2010) (जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ) उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 का अग्रतर संशोधन करने के लिये अधिनियम

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

- 1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2010 संक्षिप्त नाम कहा जायेगा। और प्रारम्भ
- (2) धारा ४ के खण्ड (ख) को दिनाक एक जनवरी, 2008 से प्रवृत्त हुआ समझा ' जायेगा तथा शेष उपवन्ध तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

उत्तर प्रदेश अधिनियम सख्या 5 सन् 2008 की धारा 6 - क का संशोधन * धारा 13 का संशोधन 2—उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008, जिसे आगे मूलं अधिनियम कहा गया है, की धारा 6—क में, स्पष्टीकरण में से शब्द "या जांच चौकी पर तैनात" निकाल दिये जायेंगे।

3-मूल अधिनियम की धारा 13 में, उपधारा (1) में खण्ड (ङ) के पश्चात निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा अर्थात :-

- "(च) इस उपधारा में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी जहां क्रय किये गये माल का पुनर्विक्रय किया जाता है या ऐसे क्रय किये गये माल का प्रयोग या उपयोग करके निर्मित या प्रसंस्कृत माल का उस दर पर विक्रय किया जाता है, जो
 - (एक) पुनर्विक्रय की स्थिति में ऐसे माल के क्रय मूल्य से, या
 - (दो) निर्माण की स्थिति में लागत मूला से.

कम हो तो इनपुट टैक्स क्रेडिट की धनराशि का दावा और उसकी अनुमति, माल या निर्मित माल के विक्रय मूल्य पर संदेय कर की सीमा तक होगी।

धारा 17 का संशोधन 4-मूल अधिनियम की धारा 17 में,

- (क) उपधारा (3) में शब्द "प्रत्येक व्यवहारी" के स्थान पर शब्द "उपधारा (5) के उपबंधों के अध्यधीन प्रत्येक व्यवहारी" रख दिये जायेंगे,
- (ख) उपधारा (5) में खण्ड (क) में, विद्यमान प्रतिवन्धात्मक खण्ड के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :—

'प्रतिवन्ध यह है कि यदि परिसम्भाग में तैनात अपर किमश्नर का यह समाधान हो जाता है कि व्यवहारी को निर्धारित अविध में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने से निवारित करने वाली ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं तो वह विलम्ब को माफ कर सकता है और यथास्थिति रिजस्ट्रीकरण प्राधिकारी अथवा करनिर्धारक प्राधिकारी को निदेश दे सकता है कि वह इस अधिनियम तथा तदधीन बनाई गयी नियमावली के उपबंधों के अनुसार आवेदन पत्र पर कार्यवाही करें।

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि विलम्ब क्षमा का आवेदन--पत्र तब तक ग्रहण नहीं किया जायेगा जब तक कि इसके साथ निम्नलिखित का प्रमाण--पत्र संलग्न न हो:--

- (एक) विलम्ब अवधि के लिए 31 दिसम्बर, 2010 तक विलम्ब शुल्क प्रतिमाह पांच सौ रुपये अथवा इसके आंशिक भाग तथा 31 दिसम्बर, 2010 के पश्चात् प्रतिमाह एक हजार रुपये अथवा उसके आंशिक भाग का भुगतानः
- (दो) प्रार्थना—पत्र जमा करने के दिनांक तक समस्त कर अवधियों की कर विवरणी का भरा जाना;
- (तीन) इस अधिनियम के अधीन देय ब्याज के साथ-साथ खण्ड (दो) के अधीन कर विवरणी में शृद्ध कर का भुगतान;

परन्तु यह और भी कि इस खण्ड के अधीन आवेदकं को सुनवाई का अवसर दिये बिना किसी आवेदन-पन्न को अस्वीकार नहीं किया जायेगा।

घारा 24 का संशोधन 5--मूल अधिनियम की धारा 24 में, उपधारा (7) का प्रतिबन्धात्मक खण्ड निकाल दिया जायेगा।

धारा 26 का संशोधन 6—मूल अधिनियम की धारा 26 में द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खण्ड के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात:—

अग्रतर प्रतिबन्ध यह हैं कि रिजस्ट्रीकृत व्यवहारी से भिन्न व्यवहारी होते हुये यदि कोई व्यक्ति राज्य के बाहर से कोई कराधेंय, माल लाता है तो कर निर्धारक प्राधिकारी व्यवहारी, के ऐसे माल की प्रत्येक प्राप्ति का पृथक--पृथक कर निर्धारण कर सकता है। 7--मूल अधिनियम की धारा 28 में,

धारा २८ का संशोधन

- (क) उपधारा (1) में, खण्ड (ख) में से उपखण्ड (छह) निकाल दिया जायेगा.
- (ख) उपधारा (9) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात:-
- (9) इस अधिनियम में किसी बात के प्रतिकृत होते हये भी, जहां कोई गैर रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी, राज्य के बाहर से कोई कराधेय माल किसी कर निर्धारण वर्ष में एक से अधिक बार लाता है वहां प्रत्येक अवसर पर लाये गये माल के संबंध में उसी वर्ष के लिए पृथक-पृथक कर निर्धारण किया जा सकता है।"

8-मूल अधिनियम की धारा 48 में-

धारा 48 का संशोधन

- (क) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखं दी जायेगी, अर्थात:--
- "(2) जहां उपधार। (1) में संदर्भित किसी अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी गाडी, जलवाहन, भवन या स्थान में पाये गये माल, किसी वास्तविक व्यवहारी के नहीं हैं अथवा माल ले जाने के संबंध में किसी वास्तविक व्यवहारी द्वारा जारी दस्तावेजों में मिथ्या विवरण है या यह कि यह संदेह हो कि ऐसे माल को किसी व्यवहारी ने अपने सामान्य व्यवसाय के क्रम में अन्रक्षित अपने लेखों, रजिस्टरों व अन्य दस्तावेजों में उचित रूप से लेखाबद्ध नहीं किया है, वहां उसे ऐसे माल को अभिग्रहीत करने की शक्ति होगी और इस धारा के अवशेष उपबन्ध ऐसे अभिग्रहण के संबंध में यथा आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।"
- (ख) उपधारा (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात :--
- "(5) यदि ऐसे प्राधिकारी का, यथा स्थिति. व्यवहारी या प्रभारी व्यक्ति के स्पष्टीकरण यदि कोई हो, पर विचार करने और उसे सुनवाई का अवसर देने के पश्चात यह समाधान हो .जाता है कि उक्त माल को उपधारा (1) में संदर्भित लेखों, रजिस्टरों और अन्य दस्तावेजों में नहीं दर्शाया गया है या उक्त माल किसी वास्तविक व्यवहारी का नहीं है या किंसी व्यवहारी द्वारा समुचित रूप से लेखायद्ध नहीं किया गया है या माल ले जाने के संबंध में किसी वास्तविक व्यवहारी द्वारा जारी दस्तावेजों में मिथ्या विवरण है या स्थानीय बाजार क्षेत्र जहां उक्त संव्यवहार हुआ है, में सुसंगत समय पर प्रचलित "माल के मूल्य से करापवंचन के आशय से पचास प्रतिशत की सीमा से अधिक के भाल का अवमूल्यन हुआ है तो वह ऐसे माल के मूल्य के चालीस प्रतिशत से अन्धिक जैसा वह उचित समझे, का अर्थदण्ड अधिरोपित करते हुये आदेश पारित करेगा।*

9—मूल अधिनियम की धारा 54 में उपधारा (1) की तालिका में क्रमांक 1 की प्रविष्टियों के रथान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां स्तम्भवार रख दी जायेंगी, अर्थात :-

धारा ५४ का -संशोधन

(3) (1)

- व्यवहारी युक्तियुक्त कारण के बिना निम्नलिखित के लिए विफल हो गया है :-
 - (क) किसी कर अवधि के लिए देय कर की विहित या यढायी शुद्ध संदेय कर का 20 प्रतिशत गयी अवधि के अन्तर्गत जमा करना;
 - (ख) किसी कर अवधि के लिए विहित रीति से कर विवरणी जमा दो हजार रुपये करना:

10-मूल अधिनियम की धारा 57 में, उपधारा (12) के खण्ड (क) में उपखण्ड (एक) के धारा 57 का स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड रख दिया जायेगा अर्थात्:--

संशोधन

'(एक) जहां ऐसे आदेश में, जो स्थगन के लिए अपीलार्थी की प्रार्थना पर पारित आदेश न हो, विवादित कर, शुल्क या शास्ति की धनराशि दो लाख रुपये या समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा अवधारित ऐसी धनराशि तीन लाख रुपये से अनधिक हो, से अधिक हो, दो सदस्यों की न्यायपीठ द्वारा।"

उददेश्य और कारण

माल के विक्रय अथवा क्रय पर कर के उद्ग्रहण एवं संग्रहण की व्यवस्था करने के लिए उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 को अधिनियमित किया गया है। उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2009 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22, सन् 2009) द्वारा जांच चौिकयों तथा नाकों की स्थापना से सम्बन्धित उपबन्धों को समाप्त करने के राग्यन्ध में अनुवर्ती संशोधन करने और व्यवहारियों द्वारा राज्य सरकार के संज्ञान में लायी गयी कितपय किवनाइयों को दूर करने और राज्य के राजस्व के हित में कितपय उपवन्ध करने की दृष्टि से यह विनिश्चय किया गया है कि मुख्यतः निम्नलिखित व्यवस्था करने के लिये उक्त अधिनियम को संशोधित किया जाय:—

- (क) जाँच चौकियों को समाप्त करने से सम्बन्धित अनुवर्ती संशोधन करना;
- (ख) पूर्ववर्ती अधिनियम के अधीन रिजस्ट्रीकृत व्यवहारी द्वारा रिजस्ट्रीकरण प्रमाण-ंपत्र के विधिमान्यकरण और निर्गमन के लिये आवेदन करने में विलम्ब को माफ करने के लिए अपर किमश्नर को सशक्त करना:
- (ग) एकल पीठ द्वारा किसी अपर किमश्नर (अपील) के आदेश के विरुद्ध दो लाख रुपये तक की विवादग्रस्त धनराशि की अपील की सुनवायी किया जाना;
- (घ) ऐसे मामलों में जहाँ क्रय किये गये माल का पुनर्विक्रय किया जाता है या ऐसे क्रय किये गये माल का प्रयोग या उपयोग करके विनिर्मित या प्रसंस्कृत माल का विक्रय, क्रय मूल्य अथवा लागत मूल्य से निम्नतर मूल्य पर किया जाता है, वहाँ माल अथवा विनिर्मित माल के विक्रय मूल्य पर संदेय कर की सीमा तक इनपुट टैक्स क्रेडिट को सीमित करना;
- (ङ) मिथ्या विवरण युक्त माल को साथ-साथ ले जाने के सम्बन्ध में अभिग्रहण और शास्ति। तद्नुसार उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2010 पुर:स्थापित किया जाता है।

आज्ञा से<u>.</u> के०के० शर्मा, प्रमुख सचिव।

No. 1101(2)/LXXIX-V-1-10-1(Ka)18-10 Dated Lucknow, August 20, 2010

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Mulya Samvardhit Kar (Sanshodhan) Adhiniyam, 2010 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 19 of 2010) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 19, 2010:—

THE UTTAR PRADESH VALUE ADDED TAX (AMENDMENT) ACT, 2010 (U.P. ACT NO. 19 OF 2010)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

ΑN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Value Added Tax Act, 2008.

IT IS HEREBY enacted in Sixty-first Year of the Republic of India as follows :-

Short title and commencement

- 1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Value Added Tax (Amendment) Act. 2010.
- (2) Clause (b) of section 4 shall be deemed to have come into force on January 1, 2008 and remaining provisions shall come into force at once.

2. In section 6-A of the Uttar Pradesh Value Added Tax Act, 2008 hereinafter referred to as the principal Act, in the Explanation the words "or posted at the check post" shall be omitted. Amendment of section 6-A of U.P. Act no. 5 of 2008

3. In section 13 of the principal Act, in sub-section (1) after clause (e) the following clause shall be inserted, namely:-

Amendment of section 13

- '(f) Notwithstanding anything to the contrary contained in this subsection where goods purchased are resold or goods manufactured or processed by using or utilizing such purchased goods are sold, at the price which in lower than
 - (i) purchase price of such goods in case of resale; or
 - (ii) cost price in case of manufacture.

the amount of input tax credit shall be claimed and be allowed to the extent of tax payable on the sale value of goods or manufactured goods."

4. In section 17 of the principal Act.

Amendment of section 17

- (a) in sub-section (3) for the words "Every dealer" the words "Subject to the provisions of sub-section (5), every dealer" shall be substituted;
- (b) in sub-section (5) in clause (a), for the existing proviso, the following proviso shall be substituted, namely:-

"Provided that if the Additional Commissioner posted in zone is satisfied that circumstances exist preventing the dealer to submit the Application within the stipulated period, he may condone the delay and direct the registering authority or assessing authority, as the case may be, to process the application in accordance with the provisions of this Act and rules framed thereunder:

Provided further that no application for condoning the delay shall be entertained unless it is accompanied with the proof of -

- (i) payment of late fees of rupees five hundred per month or part thereof up to December 31, 2010 and rupees one thousand per month or part thereof after December 31, 2010, for the period of delay;
- (ii) filing of tax returns of all tax periods upto the date of submitting application; and
- (iii) payment of net tax along with interest due under this Act in tax return under clause (ii):

Provided also that no application under this clause shall be rejected without giving opportunity to the applicant of being heard."

5. In section 24 of the principal Act, in sub-section (7) the proviso shall be omitted

Amendment of section 24

6. In section 26 of the principal Act for second proviso the following proviso shall be substituted, namely:-

Amendment of section 26

"Provided further that in case of person who being a dealer other than a registered dealer brings any taxable goods from outside the State, the assessing authority may make separate assessments for each receipt of such goods by the dealer.".

Amendment of section 28

- 7. In section 28 of the principal Act,-
 - (a) in sub-section (1), in clause (b) sub-clause (vi) shall be omitted:
- (b) for sub-section (9) the following seb-section shall be *substituted*, namely:
 - "(9) Notwithstanding anything to the contrary in any other provision of this Act, where an unregistered dealer brings any taxable goods from outside the State more than once during an assessment year, separate assessment relating to goods brought on each occasion may be the same assessment year."

Amendment of section 48

- 8. In section 48 of the principal Act,-
- (a) for sub-section (2) the following sub-section shall be substituted, namely:-
 - "(2) Where any officer referred to in sub-section (1) has reason to believe that the goods found in any vehicle, vessel, building or place are not traced to any bonafide dealer or the documents issued by a bonafide dealer with respect to the accompanying goods contains wrong particulars or that it is doubtful if such goods are properly accounted for by any dealer in his accounts, registers or other documents, maintained in the ordinary course of his business, he shall have power to seize such goods and the remaining provisions of this section shall mutatis mutandis apply in relation to such seizure."
- (b) for sub-section (5) following sub-section shall be substituted, namely:
 - explanation, if any, of the dealer or, as the case may be, the person in charge and after giving him an opportunity of being heard, is satisfied that the said goods were omitted from being shown in the accounts, registers and other documents referred to in sub-section (1) or not traced to any bonafide dealer or not properly accounted for by any dealer or the documents issued by a bonafide dealer with respect to the accompanying goods contained wrong particulars or the goods are undervalued to the extent of more than fifty percent of the value of goods prevalent at the relevant time in the local market area where the said transaction had taken place, with intention to evade payment of tax, it shall pass an order imposing a penalty not exceeding forty per cent of the value of such sections fit."

Amendment of section 54 9. In section 54 of the principal Act, in sub-section (1), in the loote for entries at serial no. 1 the following entries shall columnwise be substituted, namely:-

T	(2)	(3)
1.	The dealer has without reasonable cause failed,-	
	(a) to deposit the tax due for any tax period within the prescribed or extended time;	20% of net tax payable
	() to submit the tax return for any tax period in the prescribed manner.	rupees Two thousand

10. In section 57 of the principal Act, in sub-section (12), in clause (a) for the sub-section(i) the following sub-clause shall be *substituted*, namely:-

Amendment of section 57

"(i) by a bench of two members, where in such Order, not being an Order passed on the application of the appellant for stay, the amount of tax, fee or penalty in dispute exceeds two lakh rupees or such amount not exceeding three lakh rupees as may be determined by the State Government from time to time."

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Value Added Tax Act, 2008 has been enacted to provide for levy and colection of tax on sale or purchase of goods. With a view to making a consequential amendment with respect to the omission of the provisions relating to the establishment of check-posts and barriers by the Uttar Pradesh Value Added Tax (Third Amendment) Act, 2009 (U.P. Act no. 22 of 2009) and for removing certain difficulties brought to the notice of the State Government by the dealers and making certain provisions in the interest of revenue of the State, it has been decided to amend the said Act mainly to provide for,

- (a) making consequential amendments relating to the abolition of check-posts;
- (b) empowering the Additional Commissioner to condone the delay in making an application for validation and issue of registration certificate by the dealer registered under the erstwhile Act;
- (c) hearing of appeal against the Order of an Additional Commissioner (Appeal) by a single bench upto the disputed amount of two lakh rupees:
- (d) limiting the input tax credit to the extent of tax payable on the sale value of goods or manufactured goods in cases where goods purchased are resold or goods manufactured or processed by using or utilising such purchased goods are sold at the price lower than purchase price or cost price;
- (e) seizure and penalty with respect to the accompanying goods containing wrong particulars.

The Uttar Pradesh Value Added Tax (Amendment) Bill, 2010 is introduced accordingly.

By order, K.K. SHARMA, Pramukh Sachiv.

पी०र्:स०यू०र्पा०-ए० पी० ३९३ राजपत्र (हि०)-२०१०-(८८९)-५९९ प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/आफसेट)। पीर्यस०यू०पी०-ए० पी० ९६ सा० विधायी-२०१०-(८९०)-८५० प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/आफसेट)।